क्रम-संख्या—163

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 3अक्टूबर, 2025

आश्विन11, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

———————

संख्या185 / 79-वि-1—2025-1-क-17-2024

लखनऊ, 3अक्टूबर, 2025

——————

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अधीनमा0 राष्ट्रपतिनेकारखाना (उत्तर प्रदेशसंशोधन) विधेयक, 2024 जिससे श्रम अनुभाग—3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 23सितम्बर, 2025 को अनुमति प्रदान की औरवह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2025 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2025)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कारखाना अधिनियम, 1948 का उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

अधिनियम संख्या 63 सन् 1948 की धारा 54 का संशोधन

2—कारखाना अधिनियम, 1948 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) में, धारा 54 में, —

(एक) विद्यमान धारा, उप–धारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित की जाएगी;

(दो) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः—

''(2) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार के सम्बन्ध में, इस धारा में विनिर्दिष्ट दैनिक कार्य के अधिकतम घंटों को धारा 51 में यथा विनिर्दिष्ट किसी सप्ताह में अधिकतम अड़तालीस घण्टों के अध्यधीन, किसी भी दिन विश्राम के अंतराल सहित बारह घंटे तक ऐसे कार्य हेतु ऐसे कर्मकार की लिखित सहमति के अध्यधीन ऐसी शर्तों पर जैसा वह समीचीन समझे बढ़ा सकती है, और कर्मकार के लिए उक्त सप्ताह के शेष दिन सवेतन अवकाश होगा।''

धारा 55 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः —

''(3) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में धारा 54 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य समय में परिवर्तनीय उपबंध के कारण, ऐसी शर्तों पर जैसा वह समीचीन समझे, किसी कर्मकार के कार्य के घंटों की कुल संख्या को, बिना किसी अंतराल के, छह घंटे तक बढ़ा सकती है।''

धारा 56 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 56 में,—

(क) विद्यमान उपबंध, उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा;

(ख) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः—

''(2) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में धारा 54 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य के घण्टों में परिवर्तनीय उपबंध के कारण, ऐसी शर्तों पर जैसा वह समीचीन समझे, विश्राम के लिए उसके अंतराल को सम्मिलित करते हुए 12 घंटे तक बढ़ा सकती है।''

धारा 59 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 59 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थातः—

''(1) जहां कोई कर्मकार किसी कारखाना में—

(क) किसी भी दिन नौ घंटे से अधिक या किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक, किसी भी सप्ताह में छह दिन कार्य करता हो;

(ख) किसी भी दिन दस घंटे से अधिक या किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक,किसी भी सप्ताह में पांच दिन कार्य करता हो;

(ग) किसी भी दिन साढ़े ग्यारह घंटे से अधिक, किसी सप्ताह में चार दिन या सवैतनिक अवकाश में, कार्य करता हो,

वहां वह अतिकाल कार्य के सम्बन्ध में अपनी मजदूरी की साधारण दर से दोगुनी दर पर मजदूरी पाने का हकदार होगा।

धारा 65 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 65 में उपधारा (3) में,—

(क) खंड (चार) में, शब्द ''पचहत्तर घंटे'' के स्थान पर शब्द ''एक सौ चवालीस घंटे'' रख दिये जाएंगे;

(ख) खंड (चार) के पश्चात, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थातः—

''(पांच) किसी कर्मकार को अतिकाल कार्य करना, ऐसे कार्य हेतु ऐसे कर्मकार की लिखित सहमति के अध्यधीन अपेक्षित होगा।''

उद्देश्य और कारण

कारखानों में नियोजित कर्मकारों की कार्य–दशा, सुरक्षा, संरक्षा तथा कल्याण को विनियमित करने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) अधिनियमित किया गया है।

राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर की उपलब्धि प्राप्त करने, औद्योगिक विनिधान और उद्योगों को प्रोत्साहन देने, राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और अधिक आर्थिक क्रियाकलापों और नियोजन के अवसर सृजित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कारखाना अधिनियम, 1948 का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है जो,–

(एक) राज्य सरकार को कार्य के घण्टों की संख्या को, किसी सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे के अध्यधीन,विद्यमान नौ घण्टों से बढ़ाकर किसी भी दिन विश्राम के अंतराल सहित बारह घंटे तक करने की अनुमति देता है;

(दो) राज्य सरकार को कार्य के घण्टों में परिवर्तनीय उपबंधों के कारण कार्य के दैनिक अधिकतम घण्टों में वृद्धि की सुविधा के लिए कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार हेतु बिना किसी अंतराल के कर्मकार के कार्य के घण्टों की कुल संख्या को छह घण्टे तक बढ़ाने की अनुमति देता है;

(तीन) राज्य सरकार को किसी भी दिन या किसी भी सप्ताह में कार्य के घण्टे विहित करने की अनुमति देता है जिसके ऊपर अतिकाल कार्य के संबंध में कर्मकार को अतिकाल कार्य के सम्बन्ध में साधारण दर से दोगुनी दर पर मजदूरी संदेय हो;

(चार) कार्य के असाधारण दबाव से निपटने के लिए कारखानों को एक तिमाही में बढ़ी हुई समयावधि के लिए कर्मकार को अतिकाल पर अभिनियोजित करने की अनुमति देता है;

(पांच) अतिकाल कार्य पर महिला कर्मकारों के नियोजन को समर्थ बनाने, कार्य करने और उपार्जन के लिए समानता और समान अवसर प्रदान करने, और रात्रि पाली में कार्य करने हेतु ऐसी महिला कर्मकारों की लिखित सहमति प्राप्त करने पर जो रात्रि पाली में कार्य करने की इच्छुक हों, की सुरक्षा और स्वास्थ्य को संरक्षित करने की शर्तों के अध्यधीन दिन–रात महिलाओं के नियोजन को भी समर्थ बनाता है।

तद्नुसार कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 185(2)/LXXIX-V-1–2025-1-ka-17-2024
*Dated Lucknow,October*3, 2025

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Kaarkhana (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2025) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assentedto by the President on September 23, 2025. The Shram Anubhag-3 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE FACTORIES (UTTAR PRADESH AMENDMENT)ACT, 2024

(U.P. Act No. 14 of 2025)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature Assembly*]

AN

ACT

further to amend the Factories Act, 1948 in its application to the State of Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth year of the Republic ofIndia as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Factories(Uttar Pradesh Amendment) Act, 2024 .

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official *Gazette*.

Amendment of Section 54 of Act no. 63 of 1948

2. In the Factories Act, 1948 (hereinafter referred to as the "principal Act") in Section 54,-

(a) the existing Section shall be re-numbered as sub-section (1);

(b) *after* sub-section (1) so renumbered, the following sub-section shall be *inserted,* namely:-

"(2) The State Government may by notification in the official *Gazette*, extend the daily maximum hours of work specified in this Section up to twelve hours inclusive of interval for rest in any day subject to a maximum of forty eight hours in any week as specified in Section 51, in respect of any group or class or description of factories on such conditions as it may deem expedient, subject to the written consent of such worker for such work, and the remaining days of the said week for the worker shall be paid holidays."

Amendment of Section 55

3. In Section 55 of the principal Act, *after* sub- section (2), the following sub-section shall be *inserted*,namely:-

"(3) The State Government may by notification in the official *Gazette,* extend the total number of hours of work of a worker without an interval to six hours in respect of any group or class or description of factories on such conditions as it may deem expedient due to the provision of flexibility in working hours as specified in sub-section (2) of Section 54."

Amendment of Section 56

4. In Section 56 of the principal Act,-

(a) the existing provision shall be re-numbered as sub-section (1);

(b) *after* sub-section (1) so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(2) The State Government may by notification in the official *Gazette*, increase the spread over up to 12 hours inclusive of his intervals for rest in respect of any group or class or description of factories on such conditions as it may deem expedient, due to the provision of flexibility in working hours as specified in sub-section (2) of Section 54."

5. In Section 59 of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely:- Amendment of Section 59

"(1) Where a worker works in any factory,-

(a) for more than nine hours in any day or for more than forty eight hours in any week, working for six days in any week;

(b) for more than ten hours in any day or for more than forty eight hours in any week, working for five days in any week;

(c) for more than eleven and a half hours in any day working for four days in any week, or works on paid holidays;

he shall in respect of overtime work, be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages."

6. In Section 65 of the principal Act, in sub-section (3),- Amendment of Section 65

(a) in clause (iv), *for* the words "seventy five hours" the words "one hundred and forty four hours" shall be *substituted;*

(b) *after* clause (iv), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(v) a worker shall be required to work overtime subject to the written consent of such worker for such work."

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Factories Act,1948 (Act no. 63 of 1948) has been enacted with a view of regulate the working condition, safety, security and welfare of workers employed in factories.

To achieve the State's economy of 01 trillion dollars, to promote industrial investment and industries, to give impetus to industrial development in the State and to create more economic activities and employment opportunities it has been decided to amend the Factories Act, 1948 in its application to the State of Uttar Pradesh to,-

(i) allow the State Government to increase the number of hours of work from the existing nine hours up to twelve hours inclusive of rest intervals in any day subject to maximum of 48 hours in any week;

(ii) allow the State Government to extend the total number of hours of work by a worker without an interval to six hours to any group or class or description of factories to facilitate the increase in the daily maximum hours of work due to provisions of flexibility in working hours;

(iii) allow the State Government to prescribe the hours of work in any day or in any week above which wages at the rate of twice the rate of ordinary in respect of overtime work is payable to worker in respect of overtime work;

(iv) allow the factories to engage workers on overtime for an increased period of time in a quarter to deal with exceptional press of work;

(v) enable the employment of woman workers on overtime work, providing for equality and equal opportunity to work and earn and also to enable employment of woman round the clock subject to the conditions to secure safety and health of the woman workers working in night shifts, upon obtaining written consent from the woman workers who are interested to work in night shifts;

The Factories (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2024 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 202 राजपत्र–2025–(611)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 66 सा0 विधायी–2025–(612)–70+230=300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।